प्रकरण क्र0 135/18 शासन वि0 साहेब उर्फ साहिल

Witness No. ....**15**......, for –.................**अभियोजन साक्षी** .... ,

Deposition taken the ...**01/07/2019**.... ,day of -witness's apparent age–**36वर्ष**...

States affirmation on oath - ..., my name is –.**सूर्यकांत भारद्वाज**

wife of/S/o – **श्री एन0के0 भारद्वाज** .occupation–....**निरीक्षक**...........

address – **थाना तेदुकोना महासमुंद छ0ग0**

समय– 03:15 पी0एम0 बजे से

राज्य द्वारा कु0 सरोज गुप्ता, अति0 लोक अभियोजक

1– मै थाना सिटीकोतवाली मे वर्ष 2017 से 2018 के अवधि मे उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

2– पुलिस थाना सिटी कोतवाली के पंजीबद्ध अप0क्र0 97/17 धारा 363, भा0द0सं0 की केस डायरी मुझे विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त विवेचना के दौरान संदेही के रूप मे आरोपी साहेब उर्फ साहिल को थाना बुलाकर उससे पूछताछ किया था। पूछताछ के दौरान उसने घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल क्र0 सी0जी0–04 एल0एल0 – 5702 को अपने घर मे रखना और उसे बरामद करा देता हूँ, बताया था कि, जिसके आधार पर मैंने गवाहो के समक्ष आरोपी साहेब उर्फ साहिल का मेमोरण्डम कथन दर्ज किया था, उक्त मेमोरण्डम कथन प्रपी–7 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान जब केस डायरी प्राप्त हुई, तब पूर्व विवेचना अधिकारी के द्वारा आरोपी साहिल उर्फ साहेब पर संदेह होना बताया गया था, जिसके आधार पर मैंने उसे पूछताछ हेतु अभिरक्षा मे लिया था।

3– मेमोरण्डम कथन प्रपी–7 के आधार पर मैंने अभियुक्त साहेब उर्फ साहिल से उसके निवास स्थान बैगा पारा चंगोराभाठा रायपुर से एक नीले रंग का

मोटर सायकल होण्डा साईन क्रमांक सी0जी0–04 एल0एन0 – 5702 गवाहो के समक्ष जप्त किया था, उक्त जप्ती पत्रक प्रपी–13 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– मैंने दिनांक 12.02.2018 को आरोपी दिनेश विश्वकर्मा को अभिरक्षा मे लेकर उससे पूछताछ किया था, पूछताछ के दौरान उसने घटना मे प्रयुक्त ऑटो क्रमांक सी0जी0–04 एल0डी0– 6834 जो उसके द्वारा किराये से जायसवाल से प्राप्त करना, जिसका असली मालिक शेख अजहर होना एवं उक्त वाहन फाईनेंस कंपनी मे जमा होना बताया था, उसके द्वारा दिये गये मेमोरण्डम कथन प्रपी–8 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी के निशानदेही पर मैंने एक ऑटो क्रमांक सी0जी0–04 एल0डी0– 6834 जिसमे चालक दिनेश विश्वकर्मा मो0नं0 7723897493 लिखा हुआ था, को जप्त कर, जप्ती पत्रक प्रपी–11 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

6– मैंने दिनांक 12.02.2018 को आरोपिया कुसुम विश्वकर्मा को अभिरक्षा मे लेकर उससे पूछताछ किया था, पूछताछ के दौरान उसने घटना मे प्रयुक्त मोबाइल एवं उसका सीम घर मे रखना बतायी थी, उसके द्वारा दिये गये मेमोरण्डम कथन प्रपी–9 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपिया के निशानदेही पर मैंने एक पुराना मोबाइल स्पाईज कंपनी का जिसका ई0एम0ई0आई नं0 911451250604421 व 91451250604439 को जप्त कर, जप्ती पत्रक प्रपी–12 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

7– मैंने दिनांक 12.02.2018 को आरोपी नानू उर्फ नारायण बेहरा को अभिरक्षा मे लेकर उससे पूछताछ किया था, पूछताछ के दौरान उसने घटना मे प्रयुक्त मोबाईल सीम घर मे रखना बताया था , उसके द्वारा दिये गये मेमोरण्डम

कथन प्रपी–10 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी के निशानदेही पर मैंने एक रिलायंस कंपनी का सीम नं0 8991671790 एवं 0019862063 लिखा हुआ जप्त कर, जप्ती पत्रक प्रपी–14 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

8– आरोपीगण से लिये गये कथन व जप्ती के आधार पर उनके विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर मैंने आरोपी साहेब उर्फ साहिल, कुसुम विश्वकर्मा, नानू उर्फ नारायण बेहरा एवं दिनेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–15 सं 18 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी थी, जो **प्रपी–34 एवं 35** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

9– विवेचना के दौरान मैंने दिनांक 12.02.2018 को आरक्षक रमाकांत के द्वारा पेश करने पर मृतिका के काले रंग का फुल जींस, एक हॉफ बाह वाला गोल गले का सफेद रंग का छिटदार टी–शर्ट, एक काले रंग का ब्रा, एक काले रंग की सिमिज, एक नग मेहरून रंग की पेंटी, एक काला व एक लाल रंग की रेश्म धागा, एक बाजारू चुड़ा व अंगुठी, मृतिका की एक हड्डी (टिविया बोन), मृतिका का फोटोग्राफस जप्त किया था, उक्त जप्ती पत्रक **प्रपी–36** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

10– दिनांक 25.04.2018 को मैंने डॉ0 प्रकाश कुमार गुप्ता जिला अस्पताल रायपुर के पेश करने पर, मृतिका के पिता विमल कुमार सोनी का ब्लड सेंपल 2–2 एम0एल0 पिजर्व करने पर, जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रपी–37** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

11– मैंने दिनांक 12.02.2018 को मृतिका के शरीर से बरामद किये गये

वस्तुओं के पहचान हेतु मृतिका के पिता विमल कुमार सोनी को आहूत कर, पहचान कराया था, उक्त पहचान पंचनामा प्रपी–4 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। साहिल विश्वकर्मा द्वारा घटना मे प्रयुक्त मोबाइल को फेक दिया जाना बताया था, जिसकी पता तलाश किया गया, नही मिलने पर तलाश पंचनामा साक्षियों के समक्ष मेरे द्वारा तैयार किया गया, जो **प्रपी–38** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

12– विवेचना के दौरान मैंने तहसीलदार रायपुर को दिनांक 12.03.2018 को घटना स्थल का पटवारी के माध्यम से नक्शा बनाये जाने हेतु तहरीर लिखा था। उक्त **तहरीर प्रपी–39** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दिनांक 08.05.2018 को मोबाइल नम्बर 8103927975 का सी0डी0आर0 धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत सत्यापित प्रति चाहने बाबत् नोड्ल अधिकारी रिलायंस टेली सर्विसेंस को पत्र लिखा था, जो **प्रपी–40** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दिनांक 08.05.2018 को मोबाइल नम्बर 8964972709 एवं 9575871880 का सी0डी0आर0 धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत सत्यापित प्रति चाहने बाबत् नोड्ल अधिकारी आडिया टेली सर्विसेंस को पत्र लिखा था, जो **प्रपी–41** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त नम्बर का कॉल डिटेल प्राप्त किया था।

13– मैने दिनांक 17.02.2018 को प्रबंधक सिंडिकेट बैंक नया रायपुर को ऑटो क्रमांक सी0जी0–04 एल0डी0– 6834 को रिलिज करने बाबत् पत्र प्रेषित किया था, उक्त पत्र **प्रपी–42** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने विवेचना के दौरान साक्षी चंदू कौशिक, विमल कुमार सोनी, अब्दुल कलाम, शशांक शर्मा, नारायण लंगोटे, सरिता सोनी, शेख अजहर का कथन उनके बताये अनुसार

लेखबद्ध किया था। मैंने विवेचना के दौरान वाहन विक्रय इकरारनामा जो शेख अजहर एवं मुकेश जायसवाल के मध्य हुआ था, उसकी छायाप्रति प्राप्त कर प्रकरण मे संलग्न किया था। मैंने प्रकरण मे विवेचना के दौरान मृतिका यामिनी सोनी की हड्डी एवं उसके पिता विमल कुमार सोनी के ब्लाड प्रिजर्व को परीक्षण हेतु वरिष्ठ अधीक्षक रायपुर मे माध्यम से राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था, जो **प्रपी–43** है। उसकी पावती **प्रपी–44** है। मैंने प्रकरण मे विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए0के0 सेन अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण

14– यह कहना सही है कि जब मुझे विवेचना हेतु डायरी प्राप्त हुई, तब मैंने पूर्व विवेचना के दस्तावेजो का अवलोकन कर लिया था। मुझे डायरी अभियुक्तगण के अभिरक्षा मे लेने से एक दो दिन पूर्व प्राप्त हुई थी। यह कहना सही है कि जब मुझे डायरी प्राप्त हुई तब थाना सिटी कोतवाली रायपुर के पंजीबद्ध अप0क0 97/17 का अवलोकन कर लिया था। यह कहना सही है कि उक्त प्रथम सूचना पत्र मे अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा किसी पर शंका नही की गयी थी।

15– अभियुक्त साहिल उर्फ साहेब को दिनांक 11.02.2018 को रात्रि करीब 10:00 बजे अभिरक्षा मे लिया था। यह कहना सही है कि प्रपी–7 मे लिखी गयी इबारत कम्प्युटर से प्रिंट की गयी है किन्तु समय को अपने हाथ से लिखा है। यह कहना सही है कि प्रपी–7 के द से द भाग पर मैंने हाथ से सुधार किया है। यह कहना गलत है कि द से द भाग पर कोई दूसरा ऑटो नम्बर लिखा था, जिसे मैंने सुधार कर दूसरा ऑटो नम्बर लिखा हूँ।

16– यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान मेरे समक्ष यशवंत साहू

नामक व्यक्ति का नाम प्रकट हुआ था। यह कहना सही है कि मैंने यशवंत साहू नामक व्यक्ति से कोई पूछताछ नही किया, ना ही बयान लिया और उसके समक्ष मे कोई पतासाजी नही किया। स्वतः कहा कि मैंने उसकी आवश्यकता नही समक्षी। यह कहना सही है कि मैंने इस प्रकरण मे आरोपी साहिल से उसका कोई भी मोबाइल अथवा सीम जप्त नही किया। यह कहना गलत है कि आरोपी साहिल ने मुझे कोई मेमोरण्डम कथन नही दिया था।

17— साक्षी को प्रपी—13 का अवलोकन कराकर, जप्ती पत्रक के कॉलम 2, 4 के अलग पेंन से लिखे जाने के संबंध मे पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि एक ही पेंन से लिखा गया है। यह कहना गलत है कि उक्त दस्तावेज को अलग अलग पेंन से लिखा जाना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, जानबूझ कर असत्य कथन कर रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि आरोपी साहिल से कोई मोटर सायकल बरामद नही हुई थी।

18— मैंने साक्षी शशांक एवं अब्दुल कलाम को नोटिस देकर आहूत किया था। उक्त साक्षीगण थाना रात्रि 10 से 11 बजे के मध्य पहुंचे थे। यह कहना सही है कि साक्षी अब्दुल कलाम एवं शशांक शर्मा का कथन मैंने दिनांक 11.02.2018 को लेखबद्ध किया था। उक्त कथन मै दिनांक 11.02.2018 को रात्रि मे ही लेखबद्ध किया था, लेकिन मै निश्चित समय नही बता सकता। यह कहना सही है कि आरोपिया कुसुम विश्वकर्मा, आरोपी नानू उर्फ नारायण एवं दिनेश विश्वकर्मा का मेमोरण्डम कथन मैंने दिनांक 12.02.2018 को लेखबद्ध किया था।

19— यह कहना सही है कि प्रपी—8 मे मैंने दिनांक एवं समय को हाथ से लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज की शेष इबारत कम्प्युटर से प्रिंट की गयी है। स्वतः कहा कि हाथ से लिखे स्थान पर मेरे लघु हस्ताक्षर है। यह

कहना सही है कि वाहन ऑटो के संबंध मे जायसवाल नामक व्यक्ति का नाम प्रकट हुआ था। यह कहना सही है कि मैंने उस जायसवाल नामक व्यक्ति का कोई कथन लेखबद्ध नही किया और ना ही पूछताछ किया। स्वतः कहा कि कई बाहर होना बताया गया था। यह कहना सही है कि मैंने उक्त संबंध मे कोई पंचनामा तैयार नही किया था।

20— यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण मे संलग्न इकरारनामा छायाप्रति मे है। यह कहना सही है कि उक्त इकरारनामा किसके अधिपत्य मे था, इस संबंध मे कोई जप्ती पत्रक नही बनाया है। यह कहना सही है कि उक्त इकरारनामा का मूल दस्तावेज कहां है, इस संबंध मे कोई साक्ष्य संकलित नही किया है। यह कहना गलत है कि प्रपी—11 के जप्ती पत्रक मे कॉलम नं0 1 व 2 एवं साक्षीगण के विवरण तथा शेष इबारत अलग अलग पेंन से लिखी गयी है। यह कहना गलत है कि मै जानबूझकर इस तथ्य से इंकार कर रहा हूॅ। यह कहना सही है कि प्रपी—11 मे वर्णित वाहन ऑटो आरोपी से बरामद नही हुई है। स्वतः कहा कि आरोपी के निशानदेही पर बरामद की गयी है।

21— यह कहना सही है कि उक्त ऑटो फाईनेंस कंपनी मे किस व्यक्ति के नाम पर फाईनेंस हुआ था, वाहन कब जप्त हुई, वाहन का ऋण कितना बकाया था, इस संबंध मे मैंने उक्त सिंडिकेट बैंक से कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य संकलित नही किया। यह कहना सही है कि इस संबंध मे बैंक से कोई क्योरी भी नही मांगा था। यह कहना गलत है कि प्रपी—11 के द से द भाग को मैंने बाद मे लिखा है। उक्त वाहन ऑटो जप्त किया था, किन्तु उसे किसके द्वारा सुपुर्दनामे मे प्राप्त किया गया, मै नही बता सकता। यह कहना गलत है कि आरोपी से कोई बरामद नही हुआ था, प्रकरण बनाने के उद्देश्य से किसी अन्य की ऑटो को जप्ती दिखाया हूॅ।

22— यह कहना सही है कि उक्त ऑटो रायपुर से धमतरी जाने के संबंध मे किसी भी व्यक्ति से कोई पूछताछ नही किया और न ही इस संबंध मे कोई साक्ष्य संकलित किया। यह कहना सही है कि प्रपी—9 मे मैंने दिनांक एवं समय को हाथ से लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज की शेष इबारत कम्प्युटर से प्रिंट की गयी है। स्वतः कहा कि हाथ से लिखे स्थान पर मेरे लघु हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि प्रपी—9 के मेमोरण्डम के आधार पर सीम नं0 — 9575871880 का उल्लेख आया था। यह कहना सही है कि प्रपी—12 के जप्ती पत्रक के अनुसार उक्त सीम नम्बर की बरामदगी नही हुई है। यह कहना सही है कि प्रपी—9 के अनुसार कथित मोबाइल के कंपनी का नाम व मॉडल नं0 का उल्लेख नही है। स्वतः कहा कि आरोपी साहिल मृतिका यामिनी सोनी का मोबाइल रखा था और अपना मोबाइल कुसुम विश्वकर्मा को दे दिया था। यह कहना सही है कि आरोपी साहिल का मोबाइल अथवा सीम उसकी भाभी कुसुम विश्वकर्मा से बरामद नही हुआ। यह कहना गलत है कि किसी अन्य पुरानी मोबाइल को इस प्रकरण मे दिखाने के उद्देश्य से मैंने कथित जप्ती दिखायी है। यह कहना गलत है कि आरोपी कुसुम विश्वकर्मा से कोई मोबाइल जप्त नही हुआ था। यह कहना सही है कि प्रपी—12 मे वर्णित मोबाइल के स्वामित्व के संबंध मे मैंने कोई भी दस्तावेज जप्त नही किया था और न ही इस संबंध मे आरोपिया को कोई नोटिस दिया था।

23— यह कहना सही है कि प्रपी—10 मे मैंने दिनांक एवं समय को हाथ से लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज की शेष इबारत कम्प्युटर से प्रिंट की गयी है। स्वतः कहा कि हाथ से लिखे स्थान पर मेरे लघु हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि आरोपी नानू उर्फ नारायण मुझे कोई बयान नही दिया था, मैंने

जानबूझकर प्रकरण मे दिखाने के उद्देश्य से मैंने उक्त कथन अपने मन से लेखबद्ध किया हूँ। यह कहना सही है कि प्रपी–10 के अनुसार मोबाइल नम्बर 8103927975 का उल्लेख आया है। यह कहना सही है कि प्रपी–14 मे उपरोक्त सीम नम्बर का जप्त होने के संबंध मे कोई उल्लेख नही है। यह कहना गलत है कि प्रपी–14 मे जो नम्बर उल्लेखित है, उसे ही सीम नम्बर माना जाता है। यह कहना गलत है कि आरोपी से कोई सीम की बरामदगी नही हुई थी। यह कहना गलत है कि प्रकरण बनाने के उद्देश्य से किसी अन्य सीम की जप्ती दिखायी है। यह कहना सही है कि मैंने सीम नं0 8103927975 का धारक कौन है, व कंपनी मे किसके नाम पर आबंटित किया गया है, इस संबंध मे मैंने रिलायंस कंपनी से कोई जानकारी प्राप्त नही किया।

24– यह कहना सही है कि प्रपी–21 के ब से ब भाग एवं प्रपी–19 के ब से ब भाग मैंने लेखबद्ध किया है। यह कहना सही है कि प्रपी–11 की कार्यवाही दिनांक 12.02.2018 को 17:00 बजे, प्रपी–12 की कार्यवाही दिनांक 12.02.2018 को 16:10 बजे, प्रपी–13 की कार्यवाही दिनांक 12.02.2018 को 16:00 बजे एवं प्रपी–14 की कार्यवाही दिनांक 12.02.2018 को 16:30 बजे किया है। यह कहना गलत है कि मैंने साक्षी अब्दुल कलाम एवं शशांक शर्मा के बयान मे दिनांक 12.02.2018 को होने वाली कार्यवाही का उल्लेख पहले से कर दिया। यह कहना सही है कि उक्त दोनों साक्षी का बयान दिनांक 11.02.2018 को लिया है। यह कहना गलत है कि मैंने दिनांक 11.02.2018 को ही साक्षीगण से जप्ती पत्रक के प्रोफार्मा मे हस्ताक्षर करवा लिया था, बाद मे उन दस्तावेजो मे अपने हिसाब से इबारत का लेखबद्ध किया हूँ।

25– यह कहना सही है कि प्रकरण मे विवेचना के दौरान मृतिका यामिनी सोनी का श्याम टॉकिज के पास बूढ़ातालाब रायपुर से जाना तथ्य सामने आया

था। यह कहना सही है कि मैंने श्याम टॉकिज के आस पास इस घटना के संबंध मे किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नही किया और नही किसी भी व्यक्ति का कोई बयान लेखबद्ध किया हूँ।

26— यह कहना सही है कि अभियुक्त साहिल के कथित मोबाइल के धारक होने के संबंध मे मैंने किसी भी मोबाइल कंपनी से इस संबंध मे कोई भी दस्तावेज की मांग नही किया और ना ही कोई दस्तावेज जप्त किया हूँ।

27— यह कहना सही है कि मैंने विवेचना मै यह बताया कि मृतिका के चेहरे को पानी मे रहने वाले जीव जंतु खा गये थे। यह कहना सही है कि आर्टिकल ए—1 के फोटोग्राफस से मृतिका की पहचान नही हो रही है। यह कहना सही है कि मैंने प्रपी—4 मे धागे, कड़े व अन्य वस्तु प्रदर्शित की है, वह वस्तु बाजार मे आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह कहना सही है कि यह प्रकरण जब मेरे पास आया तब मृतिका का शव का पूर्व मे पहचान भनत राम ने अपनी पुत्री के रूप मे किया था, जिसके द्वारा उक्त शव का कफन दफन किया जा चुका था।

28— यह कहना गलत है कि जो धमतरी मे शव बरामद हुई थी, वह गुमशुदा इंसान यामिनी सोनी का नही था। यह कहना गलत है कि चूकि पुलिस थाना कोतवाली मे यामिनी सोनी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज था, इसलिए हमने किसी अन्य के शव को उसका होना बताकर प्रकरण मे कार्यवाही किया है। यह कहना गलत है कि चंदू कौशिक, विमल सोनी, नारायण लंगोटे, सरिता सोनी, अजहर, शशांक शर्मा, अब्दुल कलाम ने मुझे कोई बयान नही दिया था, मैंने प्रकरण बनाने के उद्देश्य से उनका बयान अपने मन से लेखबद्ध किया। यह कहना सही है कि थाना मे रासायनिक अथवा जैविक वस्तुओं को प्रिजर्व मे रखने की कोई व्यवस्था नही है। यह कहना सही है कि उक्त वस्तुओं को कहां सुरक्षित रखा गया

था, कोई भी दस्तावेज प्रकरण मे संलग्न नही है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा कोई भी वस्तु रासायनिक परीक्षण हेतु नही भेजी गयी थी। यह कहना गलत है कि आरोपीगण के विरूद्ध कोई मामला नही बन रहा था। यह कहना गलत है कि मैंने आरोपीगण के विरूद्ध जानबूझकर झूठा प्रकरण तैयार किया हूॅ।

समय– 05:20 पी0एम0 तक

वाचित शुद्ध स्वीकृत ।
सही/
(श्रीमती सरिता दास)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
सही/
(श्रीमती सरिता दास)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

प्रमाण पत्र

मै पुष्टि करती हूॅ कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल कथन मे टंकित की गई है ।

साक्ष्य लेखक – श्रीमती शिखा झा